SCHEDULE

(See Sub-Section (2) of Section 3)

Sl. No.	Descriptions of the Entertainments			Rate of entertainment tax
1.	For cinematograph exhibition read with the population of respective Municipal Corporation, Municipality, Notified Area Committee, Cantonment Board, Town Board, Mines Board, Municipal Board, Urban Area and Gram Panchayat or any other such areas as constituted -			
	Population of:-	Category	No. of weekly shows not exceeding	
	5 lacs and above	A	18	16% of gross collection capacity
	Exceeding 2.5 lacs and upto 5 lacs	B	16	11% of gross collection capacity
	Exceeding 1 lac and upto 2.5 lacs	C	12	8% of gross collection capacity
	Less than 1 lac	D	10	6% of gross collection capacity
2.	Class & Description of the entertainment falling under video exhibition -			
	(a) Where total number of seats is up to 50.			Rs. 2000.00 Per month
	(b) Where total number of seats is more than 50			Rs. 4000.00 Per month
	(c) Where total number of seats is more than 100			Rs. 7000.00 Per month
3.	Class & Description of the entertainment falling under Multiplex Cinema Complex -			
	Where total number of seats not exceeding 750.			Rs. 40,000.00 Per week

4.	Class & Description of the entertainment falling under Cable Television Network -	7.5% of total gross collection for valuable consideration per month
5.	Class & Description of the entertainment falling under Direct-to-Home (DTH) Service or any other similar service -	10% of total gross collection for valuable consideration per month
6.	All such Class and Description of the entertainment not falling elsewhere in this Schedule -	10% per ticket or 10% of sponsorship amount or 10% of the gross collection for valuable consideration per month: as the case may be

----

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 206--150+400 ।

है अथवा ऐसे नियत दिन को किए गए हैं तो उसका निपटारा निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा,

(च) निरसित अधिनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकार अथवा कोई अन्य प्राधिकार जिसे उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा इस निमित शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं वह नियत दिन के पूर्व पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कर सकता है;

(छ) नियत दिन के पूर्व निरसित अधिनियमों के अधीन भुगतेय कर के संबध में निरसित अधिनियमों के अधीन निर्धारित कोई कर या अधिरोपित शास्ति उक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार भुगतेय या वसूलनीय होंगे।

30. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति– यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या अन्यथा ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो तथा कठिनाई को दूर करने के लिए जो उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों।

31. निरसन तथा व्यावृत्तियां – (1) झारखण्ड मनोरंजन कर अध्यादेश, 2012 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या–02, 2012) एतद द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) परन्तु यह और कि उक्त अध्यादेश के अधीन और इसके अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रवृत्त बनाए गए सभी नियम, प्रकाशित अधिसूचनाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ एवं की गयी अन्य बातें, जहां तक इस नियम से असंगत न हो वहां तक वे इस अधिनियम के अधीन क्रमशः बनाए गए , प्रकाशित, प्रदत्त एवं की गयी समझी जायेंगी मानो यह अध्यादेश इस तारीख को प्रवृत्त था जब निरसित अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

अनुसूची

धारा 3 की उप–धारा (2) देखें

क्र. सं.	मनोरंजनों का विवरण			मनोरंजन कर की दर
1.	संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी पर्षद, नगर पर्षद, खान पर्षद, नगरपालिका पर्षद,शहरी क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत या यथागठित कोई अन्य ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या के साथ सहपठित सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन–			
	की जनसमुदाय	श्रेणी	सप्ताह में शो की संख्या इससे अधिक नहीं	
	5 लाख तथा इससे ऊपर	क	18	सकल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत
	2.5 लाख से अधिक नहीं तथा 5 लाख तक	ख	16	सकल संग्रहण क्षमता का 11 प्रतिशत
	1 लाख से अधिक नहीं तथा 2.5 लाख तक	ग	12	सकल संग्रहण क्षमता का 8 प्रतिशत
	1 लाख से कम	घ	10	सकल संग्रहण क्षमता का 6 प्रतिशत

2.	विडियो प्रदर्शन की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण	
	(क) जहाँ सीटों कुल की संख्या 50 है	2000.00 रुपए प्रति माह
	(ख) जहाँ सीटों की कुल संख्या 50 से अधिक है	4000.00 रुपए प्रति माह
	(ग) जहाँ सीटों की संख्या 100 से अधिक है	7000.00 रुपए प्रति माह
3.	मल्टीप्लेक्स सिनमा कॉम्पलेक्स की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण	
	जहाँ सीटों की कुल संख्या 750 से अधिक नहीं हो।	40,000.00 रुपए प्रति सप्ताह
4.	केबल टेलिविजन नेटवर्क की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण	प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 7.5 प्रतिशत
5.	डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा या इसी प्रकार की अन्य सेवा की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण	प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत
6.	इस अनुसूची में अन्यत्र किसी श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के सभी वर्ग तथा विवरण	प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत प्रति टिकट या प्रति माह के मान्य चिंतन के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत : जैसा भी विषय हो

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2012

संख्यां–एल०जी०–01/2012–79/लेज०, झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को अनुमत झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार